राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1949/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,
सम्भाग–द्वितीय, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 पैनार इण्डस्ट्रीज लि0,
पाटन चौक, मेडक, आन्ध्राप्रदेश, ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 16/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 102/आरएसटी/एनआरडी/01–02 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी का वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.01.2002 को पारित किया गया, जिसमें व्यवसायी के विरूद्ध कर, सरचार्ज, शास्ति व ब्याज कुल रूपये 2,01,780/–अधिरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा व्यवसायी की अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय, अपील पेश की गई है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अतः राजस्व की विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। इसमें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिनुकूल आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है अतः इसमें कोई विधिक बिन्दु नहीं है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष